न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 37 / 2017

1 श्यामलाल पुत्र हीराराम।
2 बलदेवाराम पुत्र केशुराम।
3 शीशराम पुत्र केशुराम।
4 महेन्द्र पुत्र केशुराम।
5 सुभाष पुत्र केशुराम समस्त जाति जाट निवासीगण टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रवण कुमार पुत्र केशुराम।
2 गीता देवी पत्नी श्रवण कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 अब्दुल मजीद मदनी पुत्र भोमाजीखान जाति मुसलमान निवासी टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ हाल आबाद ग्रीन हाउस वार्ड नम्बर 40 सीकर तहसील व जिला सीकर।
4 रतीराम पुत्र भानाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री बखिलाफ
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा
डनवानी श्यामलाल आदि बनाम श्रवण कुमार आदि
राजस्व वाद 75/2015 निर्णय दिनांक 20.01.2016
दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड।

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जयप्रकाश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 75/2015 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नं. 818 वाके ग्राम टोंकछिल्लरी के संदर्भ में दावा बाबत घोषणा व दुरस्ती रिकार्ड प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री किये जाने में कोई ऐतराज नहीं होना अंकित किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादवादी खारिज किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

है। इससे व्यथित होकर प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी उनके वकील द्वारा अपीलांट को समय पर नहीं दी गई। अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है, गंभीर बीमार है। अतः निर्णय की जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किया जावें। विचारण न्यायालय में वादी के दस्तावेज प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत 2018 से 2021 में ख.नं. 128 रकबा 4 बीघा 6 बिश्वा ही दर्ज है उक्त रकबा की भूमि सम्वत 2018 से 2021 में हीरा पुत्र लालु के नाम दर्ज है। हीरा वादीगण/अपीलार्थीगण का पूर्वज है फिर भी अदालत मातहत ने दावा को साबित नहीं मानने में गलती कानुनी की है। जमाबन्दी सं. 2030 से 2033 में भी हीरा पुत्रद लालु के नाम भूमि है इस तथ्य को अदालत मातहत ने माना है। अदालत मातहत ने प्रदर्श पी.1 व पी. 2 में रकबे का अन्तर होने को दावा खारीज करने का आधार माना है जो कानुन की मंशा के विपरीत है ऐसी स्थिति में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 को 4 बीघा 6 विश्वा भूमि का खातेदार दर्ज किया जा सकता था दावा खारीज किया जाना न्याय संगत नहीं है। सेटलमेन्ट तसदीक वर्ष 1980 में ख. नं. 818 रकबा 1.57 हैक्टर रतीराम पुत्र मानाराम के नाम दर्ज हो गई इस तथ्य से तो साबित यह होता है कि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 की भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत बन गया क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियां बदलने का अधिकार नहीं है सम्वत 2018 से 2021 में गत ख.नं. 128 रकबा 4 बीघा 6 विश्वा भूमि सम्वत 2033 तक वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के पूर्वज हीरा पुत्र लालु के नाम रही है उक्त प्रविष्टी को बिना किसी आधार के बदला नही जा सकता तथा अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नं. 1 वैकल्पिक अनुतोष इस आशय का प्राप्त करने के अधिकारी है कि उनको 5 बीघा 6 विश्वा भूमि का खातेदार

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

काश्तकार घोषित किया जाता है तो 4 बीघा 6 विश्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार की जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत एवं प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का कोई विवेचन किये बिना केवल मात्र यह अंकित कर की वादी द्वारा वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, वादी का वाद खारिज कर दिया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन के अभाव में विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर